<u>जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।</u>

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 340वीं बैठक दिनांक 11.08.23 को प्रातः 10.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

<u>बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया:–</u>

1. श्रीमति नलिनी कठोतिया, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (एमपी) जविप्रा, जयपुर।
4. श्री राजेश वर्मा, सदस्य सचिव, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।

<u>बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः–</u>

1. श्री प्रसून चतुर्वेदी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री बलवंत सिंह लिग्री, उपायुक्त जोन–04 व 05, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह भाटी, उपायुक्त जोन–07 व 08, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री मेघराज सिंह मीना, उपायुक्त जोन–09 व 10, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री राधेश्याम मीणा, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री हरफुल पंकज, उपायुक्त जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री विरेन्द्र कुमार मीणा, उपायुक्त जोन–19, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री महेन्द्र मीणा, उप नगर नियोजक, जोन–09, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री उदय सिंह वर्मा, उप नगर नियोजक, जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री किशन खाण्डा, उप नगर नियोजक, जोन–12, जविप्रा, जयपुर।
12. श्री रामअवतार मीणा, सहायक नगर नियोजक, जोन–06, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री मन मोहन गौतम, सहायक नगर नियोजक, जोन–07, जविप्रा, जयपुर।
14. सुश्री साक्षी बोहरा, उप नगर नियोजक, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
15. श्री दिलीप आहूजा, नगर नियोजक सहायक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
16. सुश्री वंशिका गोयल, अरबन प्लानर, जोन–05, जविप्रा, जयपुर।
17. सुश्री बलविन्दर कौर, अरबन प्लानर, जोन–08, जविप्रा, जयपुर।
18. नारायण सिंह, अरबन प्लानर, जोन–10, जविप्रा, जयपुर।
19. श्री अविरल दिक्षित, वास्तुविद, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
20. श्री आदित्य पंवार, वास्तुविद, जोन–14, जविप्रा, जयपुर।
21. श्री राजीव रतन मीणा, अरबन प्लानर, जोन–19, जविप्रा, जयपुर।
22. अरबन प्लानर/वास्तुविद–बीपीसी (एलपी), जोन– बीपीसी (एलपी), 04, जविप्रा, जयपुर।

<u>एजेण्डा संख्या:–28 (340/11.08.2023)–(जोन–09)</u>

विषय:– ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के सैक्टर 29 मे स्थित सैक्टर रोड कि प्रस्तावित 60 फीट रोड़ को विलोपित करने बाबत।

<u>प्रकरण के तथ्य:–</u>

लक्ष्मी विहार आवासीय योजना के करीब 36 भूखण्डधारियों/रहवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर मे स्थित महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लक्ष्मी विहार की योजना की भूमि पर 60 फीट सडक सी से ई तक सैक्टर प्लान की दर्शित रोड है जो कि संलग्न पी.टी.सर्व पृष्ठ संख्या 337/सी अनुसार संलग्न है एवं सी से ई 60 फीट सडक पर अनुमोदित एवं गैर अनुमोदित योजनाओं मे लगभग 80 प्रतिशत मकानात का निर्माण हो चुका है अतः सी से ई की 60 फीट सडक को मास्टर प्लान, सैक्टर प्लान जेडडीपी मे से हटाये जाने का निवेदन किया है।

भूखण्डधारी/रहवासियों के निवेदन के क्रम मे प्रकरण का परीक्षण किया गया, प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

बीपीसी (एलपी) की 330वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 के क्रम मे जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्णय किया गया जिसके क्रम मे जोन कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्र फर्स्ट इण्डिया व दैनिक प्रातः काल मे दिनांक 14.05.2023 को प्रकाशन किया गया जिसके क्रम मे जोन कार्यालय मे पैरा 309/एन अनुसार 10 आपत्तियां प्राप्त हुई। प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करने के क्रम मे सभी आपत्तिकर्ताओं को पैरा 313/एन अनुसार नोटिस तैयार कर आपत्तिकर्ताओ को दिनांक 12.07.2023 को नोटिस प्रेषित किये गये जिसमे 7 दिवस मे साक्ष्य सबूत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का समय दिया गया।

1. ग्राम चक गैटोर तहसील सांगानेर के सैक्टर 29 मे स्थित जेडडीपी की प्रस्तावित सडक 60 फीट जो कि हल्दी घाटी मार्ग को मिलान करती है एवं सैक्टर प्लान की प्रपोज रोड है।
2. 60 फीट जेडडीपी की सडक मौके पर सी से ई नही है एवं न ही आवागमन है (पैरा 342/सी पर कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अवलोकनीय है)।
3. जेडडीपी अनुसार प्रपोज 60 फीट सैक्टर रोड पर पूर्ण रूप से घनी आबादी एवं दो मंजिला एवं तीन मंजिला पक्के मकानात का निर्माण किया जा चुका है।

4. गैर अनुमोदित योजना लक्ष्मी विहार के लगभग 80 प्रतिशत मकानात निर्मित है व्यावहारिक रूप से उक्त प्रस्तावित 60 फीट सडक का मौके पर निर्माण नही किया जा सकता है।
5. सीपीआरएमएस मे उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार लक्ष्मी विहार का मानचित्र अनुमोदित है परन्तु योजना को गैर अनुमोदित दर्शाया हुआ है एवं कोई भी लीजडीड जारी नही है।
6. पैरा 309/एन अनुसार 10 आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये जिसमें 05 आपत्तिकर्ताओं द्वारा नोटिस का जवाब पेश कर सडक को विलोपित नही किये जाने का निवेदन किया गया है।
7. लक्ष्मी विहार के समस्त कॉलोनिवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र (पृष्ठ संख्या 431/सी से 450/सी) प्रस्तुत कर उक्त रोड को विलोपित करने का निवेदन किया गया क्योंकि उक्त प्रस्तावित रोड के स्थान पर इनके दो मंजिला एवं तीन मंजिला मकान सम्पूर्ण रोड की भूमि पर बने हुये है।
8. जविप्रा द्वारा 10 आपत्तिकर्ताओं को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया उक्त जारी नोटिस के क्रम मे 05 आपत्तिकर्ताओं द्वारा सुनवाई हेतु साक्ष्य सबूत के साथ उपस्थित हुये और उक्त सडक विलोपित नही किये जाने का निवेदन किया गया उक्त 05 आपत्तिकर्ता उक्त सडक से प्रभावित नही है।
9. लक्ष्मी विहार योजना के समस्त कॉलोनिवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त रोड को विलोपित करने हेतु निवेदन किया गया उक्त कॉलोनिवासी के सम्पूर्ण भूखण्ड जेडडीपी–02 की प्रस्तावित सैक्टर रोड से प्रभावित है एवं उक्त भूखण्डधारियों के मौके पर दो मंजिला एवं तीन मंजिला मकानात निर्मित है एवं उसमें निवासरत है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 431/सी से 450/सी पर संलग्न अवलोकनीय है।

<u>प्रकरण में बीपीसी (एलपी) द्वारा परीक्षण उपरांत शाखा के विचारणीय बिन्दु व प्रस्तावः–</u>

1. प्रकरण के संबंध में बीपीसी एलपी की 330वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 के अनुसार प्रश्नगत 60 फीट सैक्टर सडक बिन्दु संख्या सी से एफ तक को विलोपित करने के निर्णय लिया गया। जिसके क्रम में जोन द्वारा 25(3) की कार्यवाही में दैनिक समाचार पत्रों विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई कर प्रश्नगत 60 फीट सडक बिन्दु संख्या सी से एफ तक को विलोपित करने के संबंध में जोन स्तरीय समिति द्वारा अभिशंषा कर बीपीसी एलपी में रखे जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है।
   प्रश्नगत 60 फीट सडक के संबंध में जोन में 10 आपत्तिकताओं को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये जिसमे से 5 आपत्तिकर्ताओं द्वारा सुनवाई हेतु साक्ष्य सबूत के साथ उपस्थित हुये और उक्त सडक विलोपित नही किये जाने का निवेदन किया गया है। जोन की टिप्पणी अनुसार उक्त 05 आपत्तिकर्ता प्रश्नगत सडक से प्रभावित नही है। प्रकरण के संबंध में जोन में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। जिसके संबंध में समिति स्तर पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
2. लक्ष्मी विहार योजना के समस्त कॉलोनिवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त रोड को विलोपित करने हेतु निवेदन किया गया उक्त कॉलोनिवासी के सम्पूर्ण भूखण्ड जेडडीपी–02 की प्रस्तावित सैक्टर रोड से प्रभावित है एवं उक्त भूखण्डधारियों के मौके पर दो मंजिला एवं तीन मंजिला मकानात निर्मित है एवं उसमें निवासरत है जो पत्रावली के पृष्ठ संख्या 431/सी से 450/सी पर संलग्न अवलोकनीय है। अतः बीपीसी (एलपी) की 330वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार जोन द्वारा जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत कार्यवाही कर जोन स्तरीय समिति की अभिशंषा के क्रम में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>समिति का निर्णयः–</u>

समिति द्वारा पत्रावली एवं जोन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त बीपीसी (एलपी) की 330वीं बैठक दिनांक 27.01.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार जोन द्वारा प्रस्तावित 60 फीट रोड़ को विलोपित किये जाने के संबंध में प्राप्त आपत्तियों की जोन स्तर पर सुनवाई/परीक्षण के उपरान्त जोन की अनुशंषा के आधार पर धारा 25 की अधिसूचना कार्यवाही जोन एवं मास्टर प्लान शाखा द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर जारी किये जाने की कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

दिनांकः– 21/9/2023

क्रमांकः जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2023/डी– 186

प्रतिलिपी सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय को अवलोकन करवाने हेतु प्रेषित है।

2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त पृथ्वीराज नगर/प्रशासन, जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त, एलपीसी/भूमि/पुर्नवास, जविप्रा, जयपुर।
8. अति. आयुक्त भूमि आवाप्ति, जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन 1 से 14 एव पृथ्वीराज नगर उत्तर I/II/दक्षिण I/II, जविप्रा, जयपुर।
11. उपनिदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
12. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

24/03/23

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।